

सं. 6345 अ.स.वे.पि., 2005
दिनांक 2-2-2005



तत्काल / महत्वपूर्ण

मुख्य सचिव

संख्या : 613 / मुख्य सचिव / 2005

दिनांक : देहरादून, जून 30, 2005

1. समस्त प्रमुख सचिव
2. समस्त सचिव
3. समस्त अपर सचिव

संख्या 2414/स.वि.वि.व./2005

कृपया निम्न बिन्दुओं को अपनी दैनिक समीक्षा का भाग बना लें और अग्रोत्तर आदेशों तक प्रतिदिन कार्यालय में आने के उपरान्त 10 से 11 बजे के बीच इन बिन्दुओं पर अनिवार्य रूप से अनुश्रवण कर लें।

2. विभाग के बजट में दी गई प्रत्येक योजना की स्वीकृति जारी हो गई है और उपरोक्त स्वीकृति केवल शासनादेश तक ही सीमित न होकर वह विभागाध्यक्ष तथा जिला स्तर पर भी पहुंच गई है और उसका व्यय भी समुचित रूप से हो रहा है, स्वयं अपने स्तर से विभागाध्यक्ष तथा जिला स्तर से भी रेन्डम बेसिस पर विभिन्न योजनाओं के संबंध में कास कर लें।

3. ग की प्रत्येक केन्द्र परित योजना की स्वीकृति भारत सरकार से जारी हो चुकी है कृपया अपने विहित केन्द्र पुरोनिधानित योजना (Central Sponsored me) की जा और यदि उनकी किस्त प्राप्त नहीं हुई है तब इससे वित्त और संबंधित को अवगत कराते हुए किस्त को अवमुक्त कराये, किस्त होने के उपर यह जनपद स्तर तक पहुंच कर व्यय हो रही है इसे सुनिश्चित कर प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा अब अपनी मासिक स्वीकृतियों को संबंधित मंत्रालय की इट पर भी दिखाया जायेगा अतः अपने से संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट से भी कारी प्राप्त करके सुनिश्चित करें कि इनका आहरण हो गया है और यह फील्ड स्तर पहुंच गया है।

4. उपरोक्त के अलावा मा. प्रधान मंत्री द्वारा निम्न बिन्दुओं पर भी वित्त मंत्रालय को अनुश्रवण के लिए कहा गया है, कृपया इनका अनुश्रवण आप अपने स्तर पर भी अपने विभाग से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में अनिवार्य रूप से कर लें।

- 4.1 सुविधा के लिए User charges को लागू करने और user charges को इस प्रकार से सुनिश्चित करना जिससे विभागीय व्यय की और सेवाओं की पूर्ति हो सके।

विभाग में जहाँ-2 Non Tax राजस्व को बढ़ाने की संभावना है उसकी समीक्षा की जाय और प्रत्येक Non tax revenue के बारे में जानकारी की जाय कि उसका अन्तिम पुनरीक्षण किस वर्ष में हुआ और उसके आधार पर पुनरीक्षण को सुनिश्चित किया जाय।

जिन-जिन योजनाओं में अनुदान दिया जा रहा है उसमें अनुदान के प्रवाह की समीक्षा की जाय और यह सुनिश्चित किया जाय कि अनुदान वास्तव में इंगित

व्यय
र सचिव (मा.)
र सचिव (जी.)

या अनुपालन

निश्चित

7.7.

टी० के० कोटिया)

सचिव

लक्ष्मी शिक्षा एवं सूचना

उत्तराखण्ड शासन

SP

13